भारत सरकार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2008

28.07.2014 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता

2008. श्री राम नारायण डूडी:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता कितनी है;

(ख) राजस्थान राज्य में पेयजल की समस्या से ग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पेयजल की उपलब्धता तथा आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या–क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)

(क) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जुलाई, 2009 की अनुमानित आबादी के आधार पर राजस्थान में जल की प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता लगभग 780 क्यूबिक मीटर (सीयूएम) है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसतन पेयजल की आपूर्ति लगभग 30 लीटर प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) मंत्रालय, बसावटों की दृष्टि से पेय जलापूर्ति वाली ग्रामीण आबादी की कवरेज संबंधी आंकड़े रखता है न कि गांवों की दृष्टि से। मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1,21,133 कुल बसावटों में से 69085 बसावटें पूर्ण

रूप से कवर की गई हैं और उन्हें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) पेयजल मिल रहा है, राज्य में कुल 23956 बसावटें पेयजल की गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित हैं तथा 28092 बसावटों में पेयजल की अपर्याप्त मात्रा की समस्या है अर्थात् दिनांक 01.04.2014 की तिथि के अनुसार, इन बसावटों में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) से कम पेय जलापूर्ति है।

(ग) ग्रामीण जलापूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अंतर्गत राज्यों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने के राज्य के प्रयासों में उनकी सहायता करता है। राज्य सरकारों को एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत पेयजलापूर्ति स्कीमों के चयन, योजना तैयार करने तथा कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य की समस्याग्रस्त बसावटों को कवर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीब्लूपी) के अंतर्गत प्रति वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार करके कार्यान्वित की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य ने 3173 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य बनाया है जिनमें से 1773 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें तथा 1400 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें शामिल हैं।

(घ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान पेयजलापूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई राशि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए करोड़ों में)
1	2009-10	1012.16
2	2010-11	1099.49
3	2011-12	1153.76
4	2012-13	1411.36
5	2013-14	1332.49

******